भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1495
(29 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई-III के तहत विकसित बुनियादी ढांचा

1495. श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना- III (पीएमजीएसवाई-III) के अंतर्गत ग्रामीण संपर्क में सुधार के लिए अवसंरचनात्मक परियोजनाएं क्रियान्वित की हैं; और

(ख) यदि हां, तो ग्रामीण संपर्क में सुधार के लिए पीएमजीएसवाई- III के अंतर्गत हाल ही में स्वीकृत ऐसी परियोजनाओं का गुजरात सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना -III (पीएमजीएसवाई-III) को 2019 में मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क के समेकन के लिए 1,25,000 किलोमीटर लंबे मौजूदा मार्गों और प्रमुख ग्रामीण सड़क संपर्कों के उन्नयन के लिए शुरू किया गया था, जो बसावटों को ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ते हैं। पीएमजीएसवाई-III के तहत 25-7-2025 तक, 1,22,419 किलोमीटर लंबाई की कुल 15,972 सड़कें और 3,212 पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से देश भर में 98,588 किलोमीटर लंबाई की 11,727 सड़कें और 1,373 पुल पहले ही बन चुके हैं।

(ख) पीएमजीएसवाई III के तहत गुजरात राज्य में 2,976 किलोमीटर लंबाई की कुल 300 सड़कें और 191 पुल स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 25-7-2025 की स्थिति के अनुसार 2,866 किलोमीटर लंबाई की 283 सड़कें और 33 पुल पूरे हो चुके हैं।

पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्वीकृत परियोजनाएं **अनुबंध** में दी गई हैं।

******

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 29.07.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 1495 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत स्वीकृत सड़क की लंबाई का राज्यसंघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्वीकृत		
		सड़क कार्यों की संख्या	लंबाई (किमी)	पुलों की संख्या
1	अंडमान और निकोबार	32	200.24	0
2	आंध्र प्रदेश	412	3,203.94	77
3	अरुणाचल प्रदेश	171	1,374.14	67
4	असम	654	4,247.11	69
5	बिहार	733	6,162.17	709
6	छत्तीसगढ़	534	5,605.61	112
7	गोवा	10	62.62	2
8	गुजरात	**300**	**2,975.93**	**191**
9	हरियाणा	259	2,496.33	0
10	हिमाचल प्रदेश	299	3,123.12	43
11	जम्मू और कश्मीर	223	1,752.12	66
12	झारखंड	449	4,130.23	145
13	कर्नाटक	825	5,603.48	116
14	केरल	284	1,421.07	11
15	लद्दाख	55	455.63	0
16	मध्य प्रदेश	1,075	12,347.68	806
17	महाराष्ट्र	993	6,409.03	213
18	मणिपुर	97	783.21	0
19	मेघालय	143	1,225.41	55
20	मिजोरम	17	487.50	7
21	नागालैंड	43	545.12	0
22	ओडिशा	1,401	9,351.08	148
23	पुदुचेरी	41	107.76	0
24	पंजाब	339	3,364.61	67
25	राजस्थान	918	8,658.34	41
26	सिक्किम	45	285.90	20
27	तमिलनाडु	1,826	7,377.07	83
28	तेलंगाना	361	2,423.14	138
29	त्रिपुरा	99	777.22	6
30	उत्तर प्रदेश	2,560	18,938.04	5
31	उत्तराखंड	212	2,287.95	9
32	पश्चिम बंगाल	562	4,236.31	6
कुल		**15,972**	**1,22,419.09**	**3,212**